कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

(128)

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क. /I/ 2016 निगरानी नि-1698-I-16

श्री वीरसिंह जादौन अभिभाषक द्वारा दिनांक 31-5-16 को प्राप्त

मनजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जाट सिख निवासी ग्राम अजापुरा तह. व जिला श्योपुर म.प्र.

................आवेदक

बनाम

मध्य–प्रदेश शासन

...........अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्र.कं. 100/10–11/स्व.निगरानी की आदेश पत्रिका में पारित आदेश दिनांक 25.02.16 के विरूद्व पुनरीक्षण आवेदन पत्र 25.02.16

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य

यह कि ग्राम अजापुरा स्थित भूमि सर्वे नं. 384मि. 15 रकबा 4 बीघा भूमि पर आवेदक करीबन 25–30 वर्षो से निरंतर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। और उसयने उक्त भूमि पर अपना कब्जा इन्द्राज करवाने बावत् श्रीमान तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे न्यायालयीन प्रकरण कमांक 06/2000–01/अ–6अ से दिनांक 28.04.01 को कब्जा इन्द्राज करने का आदेश प्रदान किया गया था और उसकी कब्जे के आधार पर आवेदक द्वारा भूमिस्वामी घोषित करवाने बावत् श्रीमान तहसीलदार महोदय श्योपुर के समक्ष विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और उसके कब्जे को देखते हुए श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालयीन प्र.कं. 18/99–2000/अ–46 पर दर्ज करंके विचारण प्रारम्भ किया जिसमें भूमिस्वामी बाबू, रमेश पुत्र गोविन्दा जाति बैरवा को भी तलब किया गया, उन्होने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई आपत्ति न होना व्यक्त किया गया और उसी के आधार पर नायब तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 11.09.01 को विधिवत भूमिस्वामी घोषित किया गया तभी से आवेदक निरंतर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है।

कमंशः............2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1696-एक/16 **जिला** - श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वीर सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.04.2019 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **<u>आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</u>**	